भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FZ 893257

शपथ - पत्र

हम महानारायण मिश्र अध्यक्ष एवं सुधा मिश्रा [illegible] कोषाध्यक्ष एवं सचिव आदर्श जनता विद्यालय शास्त्री नगर सोरांव, प्रयागराज शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी /ट्रस्ट द्वारा आदर्श जनता विद्यालय शास्त्री नगर सोरांव, प्रयागराज नामक आदर्श जनता कालेज ऑफ फार्मेसी शास्त्री नगर, सोरांव, प्रयागराज संस्थान कि स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम प्रेमानन्दपुर में गाटा संख्या 16, रकबा 0.0340 हे0 गाटा संख्या 17, रकबा 0.0340 हे0 गाटा संख्या 59, रकबा 0.3880हे0 गाटा संख्या 64, रकबा 0.0230हे0 गाटा संख्या 65, रकबा 0.7360हे0 गाटा संख्या 56अ, रकबा 0.1940हे0 (कुल रकबा 1.4090हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 59, रकबा 0.3880हे0 गाटा संख्या 64, रकबा 0.0230हे0 गाटा संख्या 65, रकबा 0.7360हे0 गाटा संख्या 56अ, रकबा 0.1940हे0 कुल रकबा 1.340 हेक्टेयर में है

1.0250 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम आदर्श जनता कालेज ऑफ फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी /ट्रस्ट की बैठक दिनांक 04/04/2020 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी /ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित /सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय /महाविद्यालय /आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी /ट्रस्ट द्वारा सत्र आरम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन /परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों /आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय

अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख /दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष

NOTARY
GOVT. OF U.P.
O.P. Mishra

SOLEMNLY AFF... BEFORE ME
On 11/9/2023 AM/PM
Identified by
Which are Verified
O.P. Mishra
Advocate Notary
Soram